न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुन्तकिल प्रार्थना पत्र सं. 20/2022 हेमराज vs बाबूलाल वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
10/8/22	वकुलाय उप०। वकील अप्रार्थी श्री महावीरसिंह ने अप्रार्थी सं. 2,3,5,6 व 7 की ओर से जवाब पेश करने हेतु एक अवसर ओर चाहा, जो दिया जाता है। वकील अपीलान्ट अप्रार्थी सं. 3 का सही पता का पुनः नोटिस पेश होने पर तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 30/8/22 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
30/8/22	वकुलाय ने आज न्यायिक कार्यवाही में भाग नही लेने का निर्णय लिया है P.O साहब प्रशासनिक कार्यों मे व्यस्त है पत्रावली दिनांक 31.8.22 को पेश हो। (आ.प्र.)	
31/8/22	वकुलाय उप०। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल वकील अप्रार्थी श्री महावीर सिंह को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र शा. मि. हो। श्री महावीर सिंह ने जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा, जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 14.9.22 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
14/9/22	वकुलाय उप०। श्रीमान P.O साहब प्रशासनिक कार्यों मे व्यस्त है। पत्रावली 4/10/22 को पेश हो। (आ.प्र.)	
4/10/22	वकील प्रार्थी श्री रमेश कुमार ढ़ाका की ओर से वकील श्री भरत ओझा ने उपस्थित पत्र पेश किया जो, शा0मि0 हो। वकील अप्रार्थी श्री महावीरसिंह एवं राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया उपस्थित। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 30.08.2022 पर वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से वकील श्री भरत ओझा ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने प्रकरण संख्या 59/2019 बअनवान किशनी देवी बनाम हरलाराम में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी से किसी प्रकार की न्याय की उम्मीद नहीं होने से उसके विरूद्ध मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी श्री बाबुलाल जाट भी बतौर अप्रार्थी पक्षकार था तथा उसने अपने जबाब में कथन किया था कि उक्त प्रकरण को मुंतकिली किये जाने से उसे आपत्ति नहीं है इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी ने उक्त मुंतकिली प्रार्थनापत्र के विचाराधीन रहते हुये न्यायपालिका का मजाक बनाकर विधायिका ने जो एक पक्षकार न्याय की उम्मीद नहीं होने पर मुंतकिली प्रार्थना पत्र की सहुलियत दी हुई है उसके विपरीत जाकर उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थी को जैसी उम्मीद थी उसी अनुसार भ्रष्ट आचरण अपनाते हुये सुभाष शर्मा एंव रिडर शब्बीर ने उक्त प्रकरण का अंतिम रूप से ही निस्तारण कर दिया। जो न्याय की हत्या के समान हैं। यह कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में मुतकिली प्रार्थना पत्र के रहते हुये उक्त प्रकरण में अत्यन्त रूची लेकर निर्णय पारित करने का क्या कारण था शायद इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। जबकि मुतकिली प्रार्थना पत्र की स्थिति में उपखण्ड अधिकारी को प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि,उपखण्ड अधिकारी के पास तो इसके अलावा और भी कई पुराने प्रकरण चल रहे है जिनमें उनके द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं की कलक्टर, नागौर	

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुन्तकिल प्रार्थना पत्र सं. 20/2022 हेमराज V/s बाबूलाल व और	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

4/10/22 (लगातार)

इसका भी कोई जबाब राजस्व न्यायालय के पास नहीं है। प्रार्थी के साथ अन्याय पूर्ण निर्णय पारित कर दिया, क्योंकि यह उम्मीद शुरू से ही जताई जा रही थी कि, उपखण्ड अधिकारी व रिडर से न्याय की उम्मीद नहीं है। ऐसी स्थिति में जब प्रार्थी के अधिकारों के विपरीत जाकर जो निर्णय पारित किया है उसके लिये उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी के विरुद्ध प्रभावपूर्ण कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे राजस्व न्यायालयों की स्थिति में सुधार हो सकें, का कथन करते हुए उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी द्वारा मुंतकिली प्रार्थना पत्र के रहते हुये जो न्याय की मंशा के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है उसके लिये उखण्ड अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा मुंतकिली आवेदन में अंकित वाद का अंतिम रूप से ही निस्तारण कर देने से अब उक्त आवेदन का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये न्याय पूर्ण निर्णय करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी श्री महावीरसिंह ने प्रार्थी के उक्त आवेदन का जबाब प्रस्तुत नहीं कर मौखित बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण जिसको की प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल करने हेतु मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वह पूर्णतया बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर मात्र प्रकरण को लम्बित रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था, जो खारिज किये जाने योग्य ही था। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में कार्यवाही स्टे करने हेतु वकील प्रार्थी द्वारा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं रही थी। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 04.03.2020 को प्रस्तुत किया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा समय पर नोटिस पेश नहीं करने के कारण अप्रार्थीगण की तामील नहीं होने के कारण प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र करीब ढ़ाई वर्ष से न्यायालय हाजा में विचाराधीन चल रहा है। प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण को लम्बित रखना चाहता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित कर दिये जाने से अब प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा मात्र झूठे एवं बेबुनियाद कथनो के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को लम्बित रखने एवं उसका फैसला नहीं करवाने के उद्देश्य से ही मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण जिसको की वह मुन्तकिल करवाना चाहता है, उसमें कार्यवाही पर स्थगन के लिए कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह पूर्णतया विधिवत पारित किया गया है। निर्णय प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थी ने दुराश्य से पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का का निवेदन किया है, जो कतई विधि अनुरूप नहीं है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रकरण का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिये जाने से अब प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने बाबत कोई ठोस आधार नहीं है। प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन जिस प्रकरण को मुन्तकिल करने हेतु मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उस प्रकरण में निर्णय हो चुका है। ऐसे में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। इस आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,नागौर
कलक्टर,नागौर